संख्या-37/2021/57481/71-1-2021-जी-592/2012

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 13 मार्च, 2021

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2020-21 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 09-11-2013 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत रू0 27442.00 लाख आंकलित की गयी थी। इसी मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-2386/71-1-2013-जी-592/2012, दिनॉक 13-12-2013 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। शासनादेश संख्या-1/2017/2107/71-1-2016-जी-592/2012, दिनॉक 04-01-2017 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 29305.00 लाख स्वीकृत की गई। शासनादेश संख्या-65/2018/1093/71-1-2018-जी-592/2012, दिनॉक 26-03-2018 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 27441.00 लाख स्वीकृत की गई। पुन: शासनादेश संख्या-26/2020/658/71-1-2020-जी-592/2012, दिनॉक 03-03-2020 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 28460.53 लाख स्वीकृत की गई। उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 28460.53 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल 26168.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1.	2386/71-1-13-जी-592/2012, दिनॉक 13-01-2013	1500.00
2.	2484/71-1-14-जी-592/2012, दिनॉक 28-08-2014	6818.50
3	57/2822/71-1-14-जी-592/2012, दिनॉक 10-12-2014	1060.50
3	1/2017/2107/71-1-16-जी-592/2012, दिनॉक 04-01-2017	5000.00
4	65/2018/1093/71-1-18-जी-592/2012, दिनॉक 26-03-2018	2500.00
5	66/2018/1214/71-1-18-जी-592/2012, दिनॉक 26-03-2018	1272.60
6	98/2018/1299/71-1-18-जी-592/2012, दिनॉक 31-03-2018	2203.48
7	5/2019/29/71-1-19-जी-592/2012, दिनॉक 11-01-2019	5000.00
8	26/2020/658/71-1-20-जी-592/2012, दिनॉक 03-03-2020	813.32
	योग-	26168.40

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/106, दिनॉक 17-02-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1372.00 लाख के सापेक्ष रू0 869.10 लाख (रू0 आठ करोड़ उनहत्तर लाख दस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 एवं शासनादेश दिनॉक 07.04.2020, 11.04.2020, 29.09.2020 एवं 20.01.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये। कार्यदायी संस्थ को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
9. शासनादेश संख्या-2386/71-1-2013-जी-592/2012, दिनांक 13.12.2013, शासनादेश संख्या-1/2017/2107/71-1-2016-जी-592/2012, दिनांक 04.01.2017, शासनादेश संख्या-65/2018/1093/71-1-2018-जी-592/2012, दिनांक 26.03.2018 तथा शासनादेश संख्या-26/2020/658/71-1-2020-जी-592/2012, दिनांक 03.03.2020 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-65-मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।''

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020, दिनॉक 20 जनवरी, 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-37/2021/57481(1)/71-1-2021 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in